22/5/26 पत्रा० पेश हुई। बकु० उप०। अप्रपक्ष अधिवक्ता द्वारा मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने बावत सहमति प्रदान की गई। अप्रपक्ष वकील को सुना गया। वादी अधिवक्ता ने अप्रपक्षकारान को। मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा 53 RTA का है एवं P.D. जारी करने की सहमति प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रपक्षकारान को विवादित आराजीवल्द प्रा० पत्र में वर्णित चरण सं 2 पर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने बावत पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पाबंद किया जाता है। एवं पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो। एवं मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

Sd/-